भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 686
जिसका उत्तर बुधवार, 5 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

686. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो :

श्री टी. आर. बालू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो अधिकतर लंबित मामलों के न्यायकरण की स्थिति सहित, आज की तिथि अनुसार, पश्चिम बंगाल सहित देशभर में जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित सिविल और फौजदारी मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया और सामाजिक मुद्दों से संबंधित मामलों के न्यायकरण में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या भारतीय न्यायिक प्रणाली में बड़ी चुनौतियां सरकार के समक्ष आ रही हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा नागरिक-केन्द्रित विधिक प्रणाली निर्मित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार 02.01.2020 को भारत के उच्चतम न्यायालय में 59,859 मामले लंबित हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) के वेबपोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार 29.01.2020 तक, लगभग 3.19 करोड़ मामले विभिन्न जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के पश्चिमी बंगाल राज्य सहित ब्यौरे उपाबंध-1 पर दिए गए हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर उपलब्ध डाटा के अनुसार 45.81 लाख मामले उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे उपाबंध-2 पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में हैं। न्ययालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटान की चुनौती में अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अनुसंधान अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है।

संघ सरकार, तथापि, मामलों के त्वरित निपटान और मामलों के लंबन में कमी के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है जिसके अंतर्गत सामाजिक मुद्दों से संबंधित मामले भी हैं। न्याय के परिदान और

विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन ने कई रणनीतिक पहलों को अंगीकार किया है, जिनमें जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए (न्यायालय हालों और आवासीय इकाईयों) की अवंसरचना में सुधार, बेहतर न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी(आई सी टी) का प्रभावन, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना; जिला, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के स्तर पर बकाया मामला समितियों द्वारा अनुवर्तन के माध्यम से लंबित मामलों में कमी, अनुकल्पी विवाद समाधान (ए डी आर) पर जोर और विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल सम्मिलित है। विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पाँच वर्षों के दौरान उठाए गए मुख्य कदम निम्नानुसार हैं—

(क) : <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u>

1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सी एस एस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 7453.10 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं । जिसमें से 4008.80 करोड़ रु० (जो आज की तारीख तक जारी कुल रकम का 53.79% है) अप्रैल, 2014 से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से 29.01.2020 तक बढ़कर 19,632 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर 29.01.2020 तक 17,412 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त, 2,713 न्यायालय हाल और 1893 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

(ख) : <u>बेहतर न्याय के परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन:-</u>

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में समर्थ करने के लिए संपूर्ण देश में सरकार ई – न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2014 से आज तारीख तक कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या 13,672 से बढ़कर 16,845 हो चुकी है और 3,173 की वृद्धि दर्ज की गई है । सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नया और उपयोक्ता अनुकूल मामला सूचना सॉफ्टवेयर विकसित करके लगाया गया है। सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में, एन जे डी जी पर इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों के संबंध में 12.97 करोड़ लंबित और निपटाए गए मामलों तथा 11.15 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों से संबंधित मामला प्रास्थिति सूचना उपलब्ध है। मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को ई न्यायालय सेवाऐं जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई न्यायालय बेव पोर्टल न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ईमेल सेवा, एस एम एस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से उपलब्ध हैं। 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) : <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना:-</u>

01.05.2014 से 30.01.2020 की अवधि के दौरान, उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई । उच्च न्यायालयों में 515 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 435 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत

संख्या मई 2014 में 906 से वर्तमान में बढ़कर 1079 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या निम्नानुसार बढाई गई है:-

तारीख	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013 को	19,518	15,115
29.01.2020 को	23,782	18,812

(घ) : बकाया मामला समिति द्वारा / अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से लंबित मामलों में कमी अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है।

(ङ) : अनुकल्पी विवाद समाधान (ए डी आर) पर जोर: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 (20 अगस्त 2018 को यथा संशोधित) बाध्यकारी पूर्व संस्थापन मध्यकता और वाणिज्यिक विवादों के परिनिर्धारण को नियत करता है। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में समय सीमा विहित करके विवादों के त्वरित समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधन किया गया है।

(च) विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल: चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए वरिष्ठ नागरिकों, स्त्रियों, बालकों आदि से संबंधित मामलों हेतु त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना सम्मिलित हैं, और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रुप में प्रदान के गए राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 30.09.2019 को जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बालकों के विरूद्ध अपराधों, कुटुम्ब और वैवाहिक विवादों आदि के लिए 704 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस(10) विशेष न्यायालय नौ(9) राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में 2) में कार्य़ कर रहे हैं और सरकार द्वारा इन राज्यों को उचित अनुपात में निधियां जारी की गई हैं। और, सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु संपूर्ण देश में 1023 विशेष त्वरित न्यायालय (एफ टी एस सी) स्थापित करने के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया है। आज तारीख तक, 648 विशेष त्वरित न्यायालयों की स्थापना हेतु 26 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्कीम में सम्मिलित हुए है, जिसके अंतर्गत 363 विशिष्ट पोक्सो न्यायालय भी हैं। (100 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से) 99.35 करोड़ रुपये इन 26 राज्यों को पहली किश्त के रुप में पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) : 16,845 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण तथा ई- न्यायालयो परियोजना फेज-2 के अधीन आई सी टी समर्थकरण के माध्यम से, मुवक्किलों, अधिवक्ताओं और न्यायपालिका को कई सेवाएं प्रदान की गई हैं, जो न्यायिक सेवाओं के त्वरित परिदान को सुकर बनाती हैं। ई-न्यायालय सेवाएं जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम

निर्णयों के ब्यौरे सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय वेब पोर्टल न्यायिक सेवा केंद्रों (जे एस सी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई मेल सेवा, एस एम एस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से उपलब्ध है। सामान्य सेवा केंद्रों (सी एस सी) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाओं का एकीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। संपूर्ण देश में सभी सी एस सी अवस्थानों पर डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ई-न्यायालय सी एन आर सेवा समर्थ बनाई गई है। परियोजना के अधीन आनलाइन प्लेटफार्म के रूप में सृजित जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी), देश के कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित सूचना प्रदान करता है। वर्तमान में, सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं; इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 12.97 करोड़ से अधिक लंबित तथा निपटाऐ गए मामलों और 11.15 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की प्रास्थिति जान सकते हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों के बीच समर्थ बनाई गई है।

****

उपाबंध-1

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का राज्यवार ब्यौरा (तारीख 29.01.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य / संघ-राज्यक्षेत्रों का नाम	लंबित मामले (सिविल)	लंबित मामले (दांडिक)	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या $ $
1.	अंदमान और निकोबर द्वीप	-------	-------	------
2.	आंध्र प्रदेश	310,520	254,173	564,693
3.	तेलंगाना	245,477	320,930	566,407
4.	अरुणाचल प्रदेश	--------	--------	-------
5.	असम	68,310	229,062	297,372
6.	बिहार	400,260	2475453	2875713
7.	चंडीगढ़	18,242	30020	48,262
8.	छत्तीसगढ़	57,124	222,286	279,410
9.	दादर और नागर हवेली	1421	1612	3033
10.	दमण और दीव	1156	1154	2310
11.	दिल्ली	200,714	665,551	866,265
12.	गोवा	13,614	11199	24,813
13.	गुजरात	428,268	1183091	1611359
14.	हरियाणा	314,158	554,962	869,120
15.	हिमाचल प्रदेश	123,147	167,318	290,465
16.	जम्मू - कश्मीर	73,843	103,411	177,254
17.	झारखंड	68,734	317,330	386,064
18.	कर्नाटक	744,877	810,740	1555617
19.	केरल	402,141	892,769	1294910
20.	लद्दाख	155	295	450
21.	लक्षद्वीप	--------	--------	------
22.	मध्य प्रदेश	330,157	1119226	1449383
23.	महाराष्ट्र	1232698	2533702	3766400
24.	मणिपुर	6106	3720	9826
25.	मेघालय	2366	6481	8847
26.	मिजोरम	1161	1383	2544
27.	नागालैंड	--------	--------	---------
28.	ओडिशा	262,517	982,315	1244832
29.	पंजाब	276,208	363,475	639,683
30.	राजस्थान	435,695	1263473	1699168
31.	सिक्किम	527	775	1302
32.	तमिलनाडु	651,866	501,396	1153262
33.	पुडुचेरी	--------	---------	----------
34.	त्रिपुरा	7559	17550	25109
35.	उत्तर प्रदेश	1743565	5947401	7690966
36.	उत्तराखंड	34760	173,251	208,011
37.	पश्चिमी बंगाल	513,611	1776853	2290464
कुल		**8970957**	**22932357**	**31903314**

टिप्पण : अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों, और **लक्षद्वीप** तथा **पुडुचेरी संघ-राज्यक्षेत्रों** में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित डाटा एनजेडीजी के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के** संबंध में डाटा एनजेडीजी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है

उपाबंध-2

विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा (तारीख 29.01.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	उच्च न्यायालयों का नाम	लंबित मामले (सिविल)	लंबित मामले (दांडिक)	रिट	उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या
1.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	157,303	327,480	247,456	732,239
2.	कलकत्ता उच्च न्यायालय	21,708	198	0	21,906
3.	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	18056	9374	20139	47,569
4.	तेलंगाना उच्च न्यायालय	84,687	30,769	104,293	219,749
5.	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	70,264	30,485	95,804	196,553
6.	बंबई उच्च न्यायालय	167,890	31,266	68653	267,809
7.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	19,924	27,192	23117	70,233
8.	दिल्ली उच्च न्यायालय	33,291	21014	25,742	80,047
9.	गुजरात उच्च न्यायालय	42,888	40754	46,338	129,980
10.	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	32,473	7910	18163	58,546
11.	जम्मू - कश्मीर उच्च न्यायालय	39,770	8142	27701	75,613
12.	झारखंड उच्च न्यायालय	15,724	43220	24,755	83,699
13.	कर्नाटक उच्च न्यायालय	138,798	34,964	74523	248,285
14.	केरल उच्च न्यायालय	86,827	45217	66,695	198,739
15.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	119,334	136,191	105,560	361,085
16.	मणिपुर उच्च न्यायालय	3462	344	0	3806
17.	मेघालय उच्च न्यायालय	433	96	585	1114
18.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	219,488	208,805	113,227	541,520
19.	राजस्थान उच्च न्यायालय	215,790	122,203	134,248	472,241
20.	सिक्किम उच्च न्यायालय	78	59	100	237
21.	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	883	402	1088	2373
22.	उत्तराखंड का उच्च न्यायालय	25,370	14,689	1	40,060
23.	मद्रास उच्च न्यायालय	257,953	45,145	100,078	403,176
24.	उड़ीसा उच्च न्यायालय	40,633	43,962	66,816	151,411
25.	पटना उच्च न्यायालय	95,047	78,582	0	173,629
कुल		**1908074**	**1308463**	**1365082**	**4581619**

****